



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

सं. एएआई/कुल्लू-मनाली/सुरक्षा-पी-9/2023/2697-2700
सेवा में,

दिनांक : 22/12/2023

To,

मैसर्स विकास चौधरी सुरक्षा एजेंसी,
दुकान नं.3, ग्राउंड फ्लोर,
बस स्टैंड झाड़माजरी के पास,
पीओ बरोटीवाला, तहसील बद्दी,
जिला सोलन (हि.प्र.) 174103
ईमेल: chovikas355@gmail.com
मोबाइल नंबर 9779083132

M/s Vikas Choudhary Security Agency,
Shop No.3, Ground Floor,
Near Bus Stand Jharmajri,
PO Barotiwala, Tehsil Baddi,
District Solan (H.P) 174103
Email: chovikas355@gmail.com
Mob. No. 9779083132

विषय - कुल्लू मनाली हवाई अड्डे, भुंतर में निगरानी एवं वार्ड ड्यूटी के लिए डीजीआर प्रायोजित सुरक्षा गार्ड तैनात करने के संबंध में कार्य आदेश का प्रेषण।

Sub: - Letter of award for job Contract to deploy DGR Sponsored Security Guards for Watch & Ward Duty at Kullu Manali Airport, Bhuntar (175125).

1. कृपया डीजीआर पत्र संख्या 23500/ 38/ एसए/ एएआई/ 2023/ एचपी/ 5793/ 6974/ 7514/ एएमपी दिनांक 06/09/2023 एवं आपके द्वारा "कुल्लू मनाली हवाई अड्डे, भुंतर में देखरेख और निगरानी ड्यूटी के लिए डीजीआर प्रायोजित सुरक्षा गार्ड" कार्य के लिए सीपीपी पोर्टल पर दिनांक 19/10/2023 को ऑनलाइन जमा की गई ई-निविदा आईडी संख्या 2023_एएआई_171492_1 का संदर्भ ग्रहण करें।

Please refer to DGR Letter No. 23500/38/SA/AAI/2023/HP/5793/6974/7514/Emo Dated 06.09.2023 & your E-tender submitted online on CPP Portal for Tender ID No. 2023_AAI_171492_1 dt 19.10.2023 for the work of "DGR Sponsored Security Guards for Watch & Ward Duty at Kullu Manali Airport, Bhuntar".

2. आपके एल-1 होने के कारण, सक्षम प्राधिकारी को 06 (छह) सुरक्षा गार्ड की तैनाती के लिए, मौजूदा डीजीआर न्यूनतम वेतन के आधार पर तैनाती की तारीख से दो साल की अवधि के लिए सुरक्षा गार्ड (हथियार के बिना), जो समय-समय पर डीजीआर द्वारा संशोधन के अधीन हैं, मैसर्स विकास चौधरी सुरक्षा एजेंसी को "कुल्लू मनाली हवाई अड्डे, भुंतर में देखरेख और निगरानी ड्यूटी



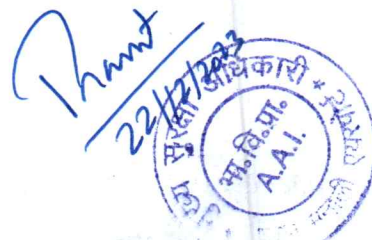
::02::

के लिए डीजीआर प्रायोजित सुरक्षा गार्ड के लिए कार्य अनुबंध" देने में प्रसन्नता हो रही है। कुल्लू मनाली हवाई अड्डे, भुंतर पर देखरेख और निगरानी ड्यूटी के लिए तैनाती की वास्तविक तिथि से 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए 08 घंटे की ड्यूटी के लिए मजदूरी @ रु. 31789.23*/- प्रति गार्ड प्रति माह लागू सेवा शुल्क और जीएसटी को छोड़कर। *अनुलग्नक-1 के अनुसार विस्तृत वेतन संरचना, चूंकि ईएसआई कुल्लू क्षेत्र में लागू नहीं है, डब्ल्यूसीए बीमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, राशि तदनुसार समायोजित की जाएगी और वेतन के अन्य भाग की तदनुसार पुनः गणना की जाएगी।

The Competent Authority is pleased to award **"Work Contract for DGR Sponsored Security Guards for Watch & Ward Duty at Kullu Manali Airport, Bhuntar"** in your favor being L-1 agency **M/s Vikas Choudhary Security Agency** for deployment of **06 (Six) security guards** (without arms) for a period of **Two years** from the date of deployment, based on prevailing DGR minimum wages, which are subject to amendments by DGR from time to time. Wages@ **Rs. 31789.23** ^{*}/- including service Charges as applicable & excluding GST per month per guard for 08 hours duty for a period of **02 (Two) years w. e. f.** the actual date of deployment, for watch and Ward duties at Kullu Manali Airport, Bhuntar. (**detailed wage structure as per annexure-1, since ESI not applicable in Kullu region, upon production of the WCA insurance certificate, the amount will be adjusted accordingly and other part of wages re-calculated accordingly*).

3. आपसे यह भी अनुरोध है कि सुरक्षा गार्ड तैनात करने से पहले आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय तथा साईट पर उपस्थित हों। (निर्देशों का बिंदु 7 देखें।) इस पत्र के जारी होने की तारीख से सात दिनों के भीतर सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाने चाहिए।

You are also requested to attend the office of undersigned and site within a week to complete the necessary formalities before deploying the security guards. (Refer point 7 of instructions.) Security guards should be deployed within seven days from the date of issuance of this letter.



जारी/03

::03::

4. कृपया स्टेशन पर गार्ड की तैनाती से पहले पूर्व सैनिक सुरक्षा एजेंसी द्वारा निम्नलिखित निर्देशों/दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए :-

The following instructions/guidelines may please be strictly adhered by ex- servicemen security agency before deployment of the guards at the station :-

- a. डीजीआर मानदंडों और प्रचलित प्रथाओं के अनुसार, काम शुरू होने से पहले अनुबंध प्रदर्शन गारंटी (सीपीजी) के रूप में सुरक्षा जमा की राशि, एक महीने के वेतन बिल का 10%, विमानपत्तन निदेशक, भुंतर, कुल्लू हि.प्र. के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सुरक्षा एजेंसी द्वारा जमा किया जाना आवश्यक है।

As per DGR norms and prevalent practices, an amount of Security deposit in the form of Contract performance Guarantee (CPG), 10% of one-month wage bill, is required to be deposited by security agency vide demand draft payable at **Bhuntar, Kullu, H.P.** drawn in favour of **Airport Director** before commencement of work.

- b. सुरक्षा गार्डों के वेतन को डीजीआर द्वारा संशोधित दरों के अनुसार संशोधित किया जाना है और जीएसटी को भी सरकार के समय-समय पर जारी नियम/अधिसूचना के अनुसार संशोधित किया जाना है।

The wages of Security Guards are to be revised as and when the rates revised by DGR and GST is also to be revised as per Govt. rules/ Notification from time to time.

- c. सुरक्षा एजेंसी को हवाईअड्डे के प्रवेश द्वार और एटीएस कॉम्प्लेक्स/परिचालन क्षेत्र के प्रवेश द्वारों की सुरक्षा के लिए एवं विमानपत्तन निदेशक के निर्देशानुसार सभी पूर्व-सैनिक सुरक्षा गार्डों को तैनात करना आवश्यक है।

Security agency is required to deploy all ex- servicemen security guards, for guarding of Airport Entry Gate and access gates to ATS Complex/operational area or as directed by Airport Director.

जारी/04



- d. सुरक्षा एजेंसी को वैधानिक लाभ यानी मूल वेतन, डब्ल्यूसीए बीमा, ईपीएफ, बोनस, एचआरए, ग्रेच्युटी टर्मिनल लाभ, वर्दी, ईडीएलआई, राहत शुल्क, जीएसटी इत्यादि सहित भुगतान का उचित खाता बनाए रखना आवश्यक है और प्रत्येक को यह राशि का भुगतान करना होगा। डीजीआर मानदंडों के अनुसार हर महीने प्रत्येक गार्ड को ईपीएफ, डब्ल्यूसीए बीमा, ईडीएलआई और जीएसटी आदि की अंशदान राशि नियमित आधार पर (मासिक) संबंधित सरकारी कार्यालय में जमा करनी चाहिए और सभी रिकॉर्ड हर महीने और जहां भी आवश्यक हो, एएआई/डीजीआर को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

The security agency is required to maintain proper account of payment including statutory benefits i.e. Basic Pay, WCA Insurance, EPF, Bonus, HRA, Gratuity terminal Benefits, Uniforms, EDLI, Relieving Charges, GST etc. and paid this amount to each month every guard as per DGR norms and should deposit contribution amount of EPF, WCA Insurance, EDLI and GST etc. in concerned Government office on monthly basis and all records should be produced to AAI/DGR every month and/ or wherever required.

- e. डीजीआर निर्देश के अनुसार पूर्व सैनिक सुरक्षा गार्डों को भुगतान चेक/एटीएम/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यक्तिगत बैंक खाते में करके प्रमाण एएआई प्रतिनिधि को जमा करना होगा।

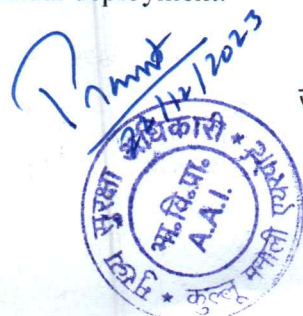
As per DGR instruction the payment to ex-servicemen security guards to be made by Cheque/ATM/Electronic means to individuals bank account and proof to be submitted to AAI representative.

- f. सुरक्षा एजेंसी जिसको यह कार्य अवार्ड किया गया है, आगे किसी अन्य व्यक्ति/एजेंसी को इस कार्य का अनुबंध नहीं देगी।

The awarded security agency will not sublet this contract to any other person/agency.

- g. सुरक्षा एजेंसी द्वारा नियुक्त गार्डों का चरित्र सत्यापन उनकी वास्तविक तैनाती से पहले पुलिस अधिकारियों के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए।

The character verification of the guards engaged by the security agency should be completed through police authorities before their actual deployment.



- h. सुरक्षा एजेंसी उसके द्वारा तैनात किये गये सुरक्षा गार्डों के लिए सभी श्रम कानूनों को देखने और उनका अनुपालन करने, वेतन के भुगतान के लिए कानून, डीजीआर दिशानिर्देशों एवं गार्डों के रोजगार के लिए सभी स्थानीय औपचारिकताओं, जो लागू हों, को पूरा करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी।

The security agency shall be solely responsible to absorb & comply with all the labour laws, laws for payment of wages to the security guards, DGR guidelines and for fulfilling all the local formalities for employment of such guards as may be applicable to the guards engaged by him.

- i. सुरक्षा एजेंसी कार्य शुरू होने से पहले 100/- रुपये (जो सुरक्षा एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा) के स्टाम्प पेपर पर समझौते को निष्पादित करेगी।

The security agency shall execute the agreement on stamp paper of Rs 100/- (cost of which will be borne by security agency) before commencement of the work.

- j. सुरक्षा एजेंसी की निविदा को एएआई द्वारा बिना कोई कारण बताए एक महीने का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

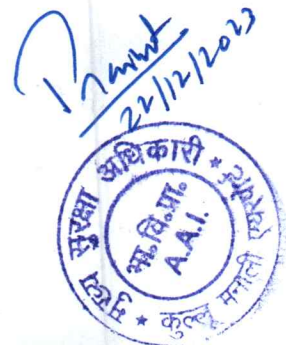
The Tender of security agency can be terminated by AAI giving one-month notice without assigning any reason.

- k. सुरक्षा एजेंसी को राज्य सरकार से कार्यदिश जारी होने के 30 दिनों के अंदर श्रमिक लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए।

The security agency should obtained a labour license and registration certificate from the state govt within 30 days from date of award of work.

- l. सुरक्षा एजेंसी को अपनी एजेंसी का पूरा पता, टेलीफोन/फैक्स नंबर, ईमेल और कोई भी संपर्क विवरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना आवश्यक है।

Security agency is required to submit the full address, Telephone/ Fax number, email and any contact detail of their agency to the office of undersigned.



::06::

- m. सुरक्षा एजेंसी को डीजीआर द्वारा जारी सभी मानदंडों, निर्देशों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है और एजेंसी द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि वह डीजीआर के सभी मानदंडों और दिशानिर्देशों को पूरा कर रही है। समय-समय पर निर्धारित डीजीआर/एएआई नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए गार्डों को तैनात करने से पहले स्वीकृति पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

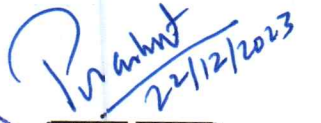
The security agency is required to ensure compliance of all norms, instructions and guidelines issued by DGR and an undertaking should be submitted by the agency that it is fulfilling all norms and guidelines of DGR. Acceptance letter should be submitted before deploying the guards for adhering the DGR/AAI terms & conditions laid by time to time.

- n. डीजीआर मानदंडों के अनुसार, जिस क्षेत्र में ईएसआई योजना लागू नहीं है, वहां सुरक्षा एजेंसी प्रत्येक गार्ड की बीमा कंपनी से ईएसआई राशि के बराबर कारीगरी और मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत इन्सुरेंस पॉलिसी लेगी।

As per DGR norms, in the area where ESI scheme is not applicable then the security agency shall take up Insurance Policy equivalent to ESI amount from Insurance Company for each guard under the Workmen Compensation Act 1923.

- o. एनआईटी दस्तावेज़ और कार्य आदेश इस अनुबंध का अभिन्न अंग होगा। सुरक्षा एजेंसी एनआईटी दस्तावेज़, समझौते और समय-समय पर जारी डीजीआर दिशानिर्देशों के सभी नियमों और शर्तों का पालन करेगी।

NIT Document and letter of work will be part and parcel of this agreement. The security agency will comply with all terms and conditions of NIT Document, Agreement and DGR Guidelines issued time to time


(प्रशांत कुमार)
मुख्य सुरक्षा अधिकारी
कृते विमानपत्तन निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
कुल्लू मन्नाली हवाई अड्डा, भुंतर

जारी/07

::07::

प्रतिलिपि -

- क्षेत्रीय मुख्य सुरक्षा अधिकारी, उ.क्षे., भाविप्रा, ऑपरेशनल काम्प्लेक्स, गुडगाँव रोड, न्यू दिल्ली - 110037 - सूचनार्थ हेतु
(ध्यानार्थ - उप महाप्रबंधक (सुरक्षा))
- महानिदेशक (डीजीआर), रक्षा मंत्रालय, वेस्ट ब्लॉक- IV, आर.के. पुरम, नई दिल्ली- 110066 - सूचनार्थ हेतु
- महाप्रबंधक (वित्त), उ.क्षे., भाविप्रा, ऑपरेशनल काम्प्लेक्स, गुडगाँव रोड, न्यू दिल्ली - 110037 - सूचनार्थ हेतु

Copy To:-

- The Regional Executive Director, Northern Region, Airports Authority of India, Operational Complex, Gurgaon Road, New delhi-110037 - for Information please .
(Kind Attention: Deputy General Manager (Security)).
- Director General Resettlement (DGR), Ministry of Defence, West Block- IV, R. K. Puram, New Delhi-110066. - for information please.
- General Manager (Finance), Airports Authority of India, Operational Complex, Gurgaon Road, New delhi-110037 - for Information please.



कुल्लू मनाली हवाईअड्डे पर दो वर्ष के लिए 06 डीजीआर सुरक्षा गार्डों (unarmed) हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2023 को लागू डीजीआर वेतन दर के अनुसार अनुमान का आंकलन

Estimate for 06 unarmed DGR Security Guards at Kullu Manali Airport for Two Year as per DGR wage rate applicable on 01 APRIL 2023

Sr No	Description	Security Guards/head/month(Without Arms)(In Rupees)
1.	Basic Wages plus V.D.A.	18070
2.	E.S.I @ 3.75% Of Basic plus VDA	0
3.	EPF @ 12% of Basic plus VDA	1800
4.	EDLI @ 0.5% of Basic plus VDA	75
5.	Administrative Charges @ 0.5% of Basic plus VDA	75
6.	House Rent Allowance (HRA) (8% of Basic plus VDA)	1800
7.	ESI on HRA (3.75 % of HRA)	0
6.	Bonus @ 8.33% of Basic wages plus VDA	1505.23
7.	Uniform Outfit Allowance @ 5% of Basic plus VDA	903.5
8.	Uniform Washing Allowance @ 3% of Basic plus VDA	542.1
9.	Total	24770.83
10.	Relieving charges 1/6 th of total of serial (9)	4128.70
11.	Total Cost per Head (9+10)	28,899.3
12.	Service Charges @ 10 % Total Cost per Head	2889.93
13.	Sum Total (11+12)	31789.23

- Total Amount = (Sum Total) Rs. 31,789.23 X (Number of Guards) 06 X 24 Months = Rs 4577649.12/-
- Final Amount(Excluding GST) = Rs 4577649.12/-

Note: - Basic wages plus V. D. A. for one Month = Minimum wage for one day X 26 day
= Rs. 695 X 26= Rs 18070/-

Note :-	Since Kullu is not covered under ESI so according to Workmen Compensation Act 1923, amount incurred for Employee Insurance Policy will be paid to firm on production of suitable insurance policy. Rates quoted shall be exclusive of GST which shall be payable extra as per prevailing rules for Security Services)
---------	--

